भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1420

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2025

बुजुर्गों की आवश्यकताएं

1420. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में बुजुर्ग आबादी की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नीति आरंभ करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में संशोधन करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों का व्यापक अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल गठित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई नीति के कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): वृद्धजनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति, 1999 में वृद्धजनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आश्रय, संरक्षण और अन्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। समय के साथ, एक नई नीति लाने की आवश्यकता है। माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में पेश किया गया था। लोक सभा भंग होने के बाद यह विधेयक निरस्त हो गया। नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में ''भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण'' के संबंध में एक समिति गठित की गई है, जिसमें हितधारक मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, वृद्धजनों की देखभाल करने वाले संगठनों और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति वरिष्ठ नागरिकों की समग्र देखभाल और उनके कल्याण के लिए एक कार्यनीतिक ढांचे की सिफारिश करेगी।

*****